राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	किस्तुरचन्द बनाम महेश कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया	अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/05/2026 को पेश हो		
19/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 लगा. 8 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1461 रकबा 0.0500 है., खसरा नम्बर 1462 रकबा 2.1800 है., वाके ग्राम तूंगा पटवार हल्का तूंगा भू.अभि.नि. क्षेत्र तूंगा जिला जयपुर में आने जाने व अपने कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने हेतु सुगम आवागमन हेतु अन्य खातेदार के स्वामित्व के तथा अप्रार्थीगण की खातेदार भूमि खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.1900 है., वाके ग्राम तूंगा पटवार हल्का तूंगा भू.अभि.नि. तूंगा तहसील तूंगा में से 18 फीट चोडाई के नये रास्ते हेतु भूमि चाही जा रही है। जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। जिसे संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थी नियमानुसार युक्तियुक्त मुआवजा राशि अदा करने को तैयार व तत्पर है। तथा जो रास्ता श्रीमान द्वारा दिलवाया जाना अपेक्षित है वहां पर वाकई रास्ता कायम करवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा(1) का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये	जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की	तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा(1) पर समायत कर निर्णय दिनांक 22/09/2022 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश पारित कर दिये गये	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।		

735/2022

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	किस्तुरचन्द बनाम महेश कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	735/2022	

अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस एवं रेस्पो. की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का समुचित अध्ययन कर प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने के तथ्यों के प्रकाश में अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | कानूनन भी प्रत्येक काश्तकार/खातेदार को उसकी खाते की आराजीयात पर उन्नत कृषि हेतु कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु रास्ता कायम किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/09/2022 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 19/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |